



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10102020-222344

CG-DL-W-10102020-222344

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 10—अक्टूबर 16, 2020 (आश्विन 18, 1942)

No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 10—OCTOBER 16, 2020 (ASVINA 18, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अगस्त 2020

सं. पीएफ.1206-आर(3)/जीएन-8979/एएन-1/2020—अध्यक्ष, लोक सभा, पे मैट्रिक्स के स्तर 13 में निदेशक (मुद्रण) के पद पर कार्यरत श्री एस.एस. कुकरेजा, को समयमान स्थापन योजना - 2011 के अंतर्गत दिनांक 06 जून, 2020 से संयुक्त सचिव के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स के स्तर 14 में रखते हैं।

संतोष कुमार, निदेशक

सं. पी.एफ.1351-आर(7)/जीएन-8980/2020/एएन-1—अध्यक्ष, लोक सभा, लोक सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तों) नियम, 1955 के नियम 9 के साथ पठित मूल नियमों के नियम 56 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती कावेरी जेसवाल, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) को लोक हित में 31 अगस्त, 2020 के अपराहन से सेवानिवृत्त करते हैं।

2. अध्यक्ष महोदय ने यह भी निदेश दिया है कि श्रीमती कावेरी जेसवाल को तीन महीने की सूचना के बदले, तीन महीने की अवधि के लिए उनके वेतन और भत्तों के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना उसी दर पर की जाएगी जिस दर पर वह अपनी सेवानिवृत्ति से तत्काल पूर्व प्राप्त कर रही थीं।

3. श्रीमती कावेरी जेसवाल, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) तदनुसार 31.8.2020 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

संतोष कुमार, निदेशक

सं. पी.एफ.1358-आर(7)/जीएन-8981/2020/एएन-I—अध्यक्ष, लोक सभा, लोक सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तों) नियम, 1955 के नियम 9 के साथ पठित मूल नियमों के नियम 56 के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री प्रणव कुमार, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) को लोक हित में 31 अगस्त, 2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त करते हैं।

2. अध्यक्ष महोदय ने यह भी निदेश दिया है कि श्री प्रणव कुमार को तीन महीने की सूचना के बदले, तीन महीने की अवधि के लिए उनके वेतन और भत्तों के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना उसी दर पर की जाएगी जिस दर पर वह अपनी सेवानिवृत्ति से तत्काल पूर्व प्राप्त कर रहे थे।

3. श्री प्रणव कुमार, संयुक्त निदेशक (अनुवाद) तदनुसार 31.8.2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

संतोष कुमार, निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 अगस्त 2020

सं. एफ.23.08/2019/जीएन-8971/एएन-I—दिनांक 4 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना सं.एफ.23.08/2019/जीएन-8830/एएन-I के अनुक्रम में, श्री मनोज के. अरोड़ा, भारतीय राजस्व सेवा (सीएंडसीई:1990) की लोक सभा सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि 13 अगस्त, 2020 से 12 अगस्त, 2021 तक एक वर्ष के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

विनोद कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

दिनांक 28 अगस्त 2020

सं. एफ.15/4/2020/जीएन-8975/एएन-I—अध्यक्ष, लोक सभा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री उत्पल कुमार सिंह को 01 सितम्बर, 2020 से अगले आदेश तक पे मैट्रिक्स के स्तर 17 में अनुबंध आधार पर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उनकी नियुक्ति की विस्तृत शर्तें बाद में अलग से जारी की जाएंगी।

विनोद कुमार त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 अगस्त 2020

सं. 23/03/2020/जीएन-8967/एएन-I—अध्यक्ष, लोक सभा, निम्नलिखित संपादकों को 01.08.2020 से अगले आदेश तक, पे मैट्रिक्स के स्तर 12 में संयुक्त निदेशक (अनुवाद) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं:—

1. सुश्री परमजीत कौर
2. श्रीमती सुनीता उपाध्याय

सवधा कालिया, उप सचिव

सं. 23/03/2020/जीएन-8968/एएन-I—अध्यक्ष, लोक सभा, निम्नलिखित सहायक संपादकों को 01.08.2020 से अगले आदेश तक, पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में संपादक के ग्रेड में नियुक्त करते हैं:—

1. श्री देवेंद्र कुमार
2. श्री नरेश कुमार

सवधा कालिया, उप सचिव

दिनांक 10 अगस्त 2020

सं. पीएफ.176-आर(7)/जीएन-8969/2020/एएन-I—विदेश मंत्रालय में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन के पश्चात, डॉ. युमनाम अरुण कुमार ने 31 जुलाई, 2020 के अपराह्न से इस सचिवालय में उप सचिव के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सवधा कालिया, उप सचिव

सं. पीएफ.176-आर(7)/जीएन-8970/2020/एएन-I—अध्यक्ष, लोक सभा, डॉ. युमनाम अरुण कुमार, उप सचिव को 8 अगस्त, 2020 से अगले आदेश तक, अपर निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. वह अपर निदेशक के ग्रेड में श्रीमती ए. ज्योतिर्मयी से कनिष्ठ और श्रीमती रीना गोपालकृष्णन से वरिष्ठ होंगे।

सवधा कालिया, उप सचिव

दिनांक 17 अगस्त 2020

सं. एफ.41/2/2020/जीएन-8972/एएन-I—अध्यक्ष, लोक सभा, श्री मुरलीधरन पी. अपर निदेशक को समयमान स्थापन योजना-2011 के अंतर्गत 15 अगस्त, 2020 से निदेशक के पद के साथ संबद्ध पे मैट्रिक्स के स्तर 13 में रखते हैं।

सवधा कालिया, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 अगस्त 2020

सं. एफ.15/05/2019/जीएन-8974/एएन-I—अध्यक्ष, लोक सभा, श्री हरि नंद कहार, सेवानिवृत्त अपर प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग, राजस्थान सरकार, को 19 अगस्त, 2020 से अगले आदेश तक, सह-विस्तारी आधार पर माननीय अध्यक्ष, लोक सभा [श्री ओम बिरला] के निजी स्टाफ में पे मैट्रिक्स के स्तर 10 में सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निजी स्टाफ में श्री हरि नंद कहार की नियुक्ति सेवाधृति आधार पर और माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के प्रसादपर्यंत होगी।

स्वाति परवाल, उप सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2020

सं. एफ.15/07/2019/जीएन-8977/एएन-I—भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री संजय कुमार को ग्रंथालय समिति के सभापति (श्री नामा नागेश्वर राव) के निजी स्टाफ में 17 मार्च, 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पे मैट्रिक्स के स्तर 11 में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. उनका पदनाम ग्रंथालय समिति के सभापति का निजी सचिव होगा।

स्वाति परवाल, उप सचिव

सं. पीएफ.1000-आर(7)/2020/जीएन-8978/एएन-I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती अंजुला सूद, अपर निदेशक (पीएसएस) 31 अगस्त, 2020 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

स्वाति परवाल, उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 अगस्त 2020

सं. पीएफ.3080-आर(3)/जीएन-8973/एएन-1/2020—श्री अरविन्द राय, महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो वर्तमान में लोक सभा सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक (सुरक्षा) के पद पर कार्यरत हैं, को 24.08.2020 के अपराहन से इस सचिवालय में उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है और तत्पश्चात उनकी सेवाएं उनके मूल विभाग अर्थात् महानिदेशालय, सीआरपीएफ, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं।

2. यह दिनांक 24.10.2018 की अधिसूचना सं. पीएफ.2962-आर(3)/जीएन-8562/एएन-1/2018 के अनुक्रम में है।

श्रीकांत एस., उप सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अगस्त 2020

सं. पीएफ.1368-आर(7)/जीएन-8976/एएन-1/2020—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री राकेश सी. हण्डू, संयुक्त निदेशक (अनुवाद), 31 अगस्त, 2020 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. गणपति, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2020

सं. आई-14011/06/2020-आई पी एस-1(I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 18.09.2020 को चयन समिति की दिनांक 18.08.2020 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2019 की चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के हिमाचल प्रदेश संवर्ग में 01 मौलिक रिक्ति को भरे जाने हेतु हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारी का नाम शामिल किया गया है:—

चयन सूची 2019

अधिकारी का नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
वीरेंद्र शर्मा	25.06.1963

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

सं. आई-14011/06/2020-आई पी एस-1 (II)—राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं:—

चयन सूची 2019

अधिकारी का नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
वीरेंद्र शर्मा	25.06.1963

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परीवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परीवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 28 सितम्बर 2020

सं. आई-18012/15/2020-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति उत्तराखण्ड संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
1.	धीरेन्द्र सिंह गुंज्याल	03.08.2018
2.	यशवन्त सिंह	03.08.2018
3.	अजय सिंह	21.06.2019
4.	पंकज भट्ट	21.06.2019

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्टूबर 2020

सं. 23011/20/2020-डब्ल्यू एस-III—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 32) की धारा 55 की उपधारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. जयंतकुमार मगनलाल व्यास को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करती है।

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. 23011/93/2020- बी पी आर और डी—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 31) की धारा 52 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० बिमल पटेल को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से अगले आदेश तक, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करती है।

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-01, दिनांक 23 सितम्बर 2020

सं. I-18011/09/2020-आई.पी.एस.-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ए. कोआन, भा.पु.से. (ए.जी.एम.यू.टी.: 2009) को दिनांक 21.12.2011 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं ।

अंजन सरकार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2020

सं. आई-14011/05/2020-आई पी एस-1(I)—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 28.09.2020 को चयन समिति की दिनांक 10.09.2020 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2019 की चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश संवर्ग में 08 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है:—

चयन सूची 2019

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	यशपाल सिंह राजपूत	01.06.1969
2.	धर्मवीर सिंह	01.01.1970

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
3.	अरविन्द तिवारी	28.06.1970
4.	प्रियंका मिश्रा	05.08.1972
5.	वीरेंद्र कुमार मिश्रा	22.12.1969
6.	प्रमोद कुमार सिन्हा	16.08.1970
7.	विजय कुमार भगवानी	04.01.1970
8.	राजीव कुमार मिश्रा	21.07.1970

रवि निर्मल, अवर सचिव

सं. आई-14011/05/2020-आई पी एस-1 (II)—राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं:—

चयन सूची 2019

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री)	जन्म तिथि
1.	यशपाल सिंह राजपूत	01.06.1969
2.	धर्मवीर सिंह	01.01.1970
3.	अरविन्द तिवारी	28.06.1970
4.	प्रियंका मिश्रा	05.08.1972
5.	वीरेंद्र कुमार मिश्रा	22.12.1969
6.	प्रमोद कुमार सिन्हा	16.08.1970
7.	विजय कुमार भगवानी	04.01.1970
8.	राजीव कुमार मिश्रा	21.07.1970

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

रवि निर्मल, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2020

सं. 14013/02/2017-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से स्थायी करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/श्री)	बैच	स्थायीकरण की नियत तारीख
1.	बख्तावर सिंह	2009	24.08.2018

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/श्री)	बैच	स्थायीकरण की नियत तारीख
2.	अरविन्द पाल सिंह संधु	2009	20.12.2018
3.	माधवी कटारिया	2010	31.08.2019
4.	विमल कुमार सेतिया	2010	24.08.2018
5.	देविन्द्र सिंह	2010	24.08.2018
6.	पुनीत गोयल	2010	24.08.2018
7.	अमृत कौर गिल	2010	24.08.2018
8.	मो. इश्फाक	2011	02.02.2019

संदीप कुमार सिन्हा, अवर सचिव

सं. 14013/03/2017-अ.भा.से.-III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीख से स्थायी करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सुश्री/श्री)	बैच	स्थायीकरण की नियत तारीख
1.	श्रीमती रेणु पंत	2000	04.09.2009
2.	श्री शिव नारायण रूपला	2000	04.09.2009
3.	श्री नीरज दुबे	2000	04.09.2009
4.	श्री नारायण प्रसाद देहरिया	2001	18.01.2013
5.	श्री आशुतोष अवस्थी	2001	01.08.2012
6.	डॉ. अशोक कुमार भार्गव	2002	01.08.2012
7.	डॉ. मसूद अख्तर	2002	01.08.2012
8.	श्री राजेन्द्र सिंह	2002	01.08.2012
9.	श्री जनक कुमार जैन	2002	01.08.2012
10.	श्री राजेश बहुगुणा	2002	01.08.2012
11.	श्री आनन्द कुमार शर्मा	2002	01.08.2012
12.	श्री दयाल दास अग्रवाल	2002	01.08.2012
13.	श्री शैलेन्द्र कियावत	2003	01.08.2012
14.	श्री रविकांत जैन	2003	01.08.2012
15.	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	2003	01.08.2012

संदीप कुमार सिन्हा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितंबर 2020

सं. 04/पीबी-11/2020—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् श्री राज कुमार गोगलानी (जन्मतिथि-30.08.1960), इस मंत्रालय में निजी सचिव, (भारतीय विदेश सेवा ('ख') के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-1 के अधिकारी) 31.08.2020 को अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

शालिनी जोशी, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-II)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 सितम्बर 2020

सं. ए. 12025/184/2018-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. कटारिया हिरल बिरेन्द्रभाई को दिनांक 14 जून, 2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. कटारिया हिरल बिरेन्द्रभाई को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, अहमदाबाद के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/156/2015-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. जॉर्ज एलेन जॉन को दिनांक 01 जनवरी, 2020 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. जॉर्ज एलेन जॉन को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

दिनांक 16 सितम्बर 2020

सं. ए. 12025/114/2018-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रविंद्र नुतचन्द्रा कुरलकर को दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. रविंद्र नुतचन्द्रा कुरलकर को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/31/2019-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अमरीन नाज़ को दिनांक 23 अगस्त, 2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अमरीन नाज़ को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

सं. ए. 12025/95/2019-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. एंजेल चेलप्पा को दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. एंजेल चेलप्पा को सी. एल. टी. आर. आई, चेंगलपट्टू के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

दिनांक 23 सितम्बर 2020

सं. ए. 12025/195/2017-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अमृता राजन को दिनांक 22 अक्टूबर, 2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अमृता राजन को एयरपोर्ट हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन, त्रिवेन्द्रम के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

के. वैकटेशन, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2019

सं. 22-02/2017-एम आई डी एच, टैक-1 (ई-37750)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति श्री बाबूलाल मीना को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट (केरल) में, दिनांक 23.10.2019 के पूर्वान्ह से (पूर्व संशोधित) रु 15,600-39,100 (पीबी-3) ग्रेड वेतन रु 6,600, (संशोधित सांतवे वेतन आयोग के अनुसार), वेतन सारणी में लेवल 11 (रु 67,700—2,08,700) के वेतनमान में, संयुक्त पद्धति के द्वारा पदोन्नति के आधार पर उपनिदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. के. पटले, उपायुक्त (बागवानी)

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 सितम्बर 2020

सं. 1-22/2019-एसपीजी—राष्ट्रपति, डॉ. चार्ल्स लोबो, भारतीय डाक सेवा: 1987, को पदोन्नति पर और अगले आदेश होने तक दिनांक 28.05.2020 (पूर्वाहन) से सदस्य (प्रचालन), डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग, संचार मंत्रालय, के पद पर नियुक्त करते हैं।

विनायक मिश्रा, सहायक महानिदेशक (एसपीजी)

सं. 1-22/2019-एसपीजी—राष्ट्रपति, सुश्री संध्या रानी, भारतीय डाक सेवा: 1987, को पदोन्नति पर और अगले आदेश होने तक दिनांक 01.06.2020 (पूर्वाहन) से सदस्य (बैंकिंग और डीबीटी), डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग, संचार मंत्रालय, के पद पर नियुक्त करते हैं।

विनायक मिश्रा, सहायक महानिदेशक (एसपीजी)

सं. 1-22/2019-एसपीजी—राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार पोद्दार, भारतीय डाक सेवा: 1987, को पदोन्नति पर और अगले आदेश होने तक दिनांक 04.09.2020 (अपराहन) से अपर महानिदेशक (समन्वय), डाक विभाग, संचार मंत्रालय, के पद पर नियुक्त करते हैं।

विनायक मिश्रा, सहायक महानिदेशक (एसपीजी)

सं. 1-22/2019-एसपीजी—राष्ट्रपति, सुश्री स्मिता कुमार, भारतीय डाक सेवा: 1987, को पदोन्नति पर और अगले आदेश होने तक दिनांक 14.09.2020 (अपराहन) से सदस्य (प्रौद्योगिकी), डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग, संचार मंत्रालय, के पद पर नियुक्त करते हैं।

विनायक मिश्रा, सहायक महानिदेशक (एसपीजी)

दिनांक 18 सितम्बर 2020

सं. 1-16/2019-एसपीजी—राष्ट्रपति, श्री विनीत पांडे, (भारतीय डाक सेवा: 1986), को पदोन्नति पर और अगले आदेश होने तक दिनांक 01.09.2020 (पूर्वाहन) से महानिदेशक, डाक सेवाएं, डाक विभाग, संचार मंत्रालय, के पद पर नियुक्त करते हैं।

विनायक मिश्रा, सहायक महानिदेशक (एसपीजी)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 सितम्बर 2020

सं. पीएफ/1544/एनआईसी/2019/प्रशा-I—राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री मैथ्यू के अब्राहम, वैज्ञानिक-डी कर्मचारी कोड: 1544, रा.सू.वि. केंद्र, केरल राज्य केंद्र तिरुवनंतपुरम, से दिनांक 31 अगस्त, 2020 की अपराहन से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति को स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

मनोहरन आर, संयुक्त निदेशक (प्र.)

सं. पीएफ/3445/एनआईसी/2020-प्रशा-I—श्री सत्या कुमार दीक्षित, वैज्ञानिक-ई (कर्मचारी कोड: 3445), यूपी स्टेट सेंटर, लखनऊ से, 31 अगस्त 2020 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

मनोहरन आर, संयुक्त निदेशक (प्र.)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 सितम्बर 2020

सं. 49/6/2020-प्रशासन-1—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12015/01/2020-आई एस एस दिनांक 27.08.2020 के अनुपालन में, श्री दीपक गोयल को नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय में उप महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप दिनांक 14.09.2020 के पूर्वाह्न से नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय की सामर्थ में लिया गया।

के. सलिल कुमार, उप सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितंबर 2020

सं. 09/2020 (फा.सं. 2-2/4/2020-प्रशा.II)—राष्ट्रपति, श्री के के पांडेय (आई ई एस: 2010), को वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में, 09.09.2020 पूर्वाह्न से विद्युत मंत्रालय में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

हाउसुआनथांग गुइते, अवर सचिव

दिनांक 16 सितंबर 2020

सं. 10/2020 (फा.सं. 12/01/2020-प्रशा.II)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्रीमती रेनुका कुमार, निदेशक, विद्युत मंत्रालय 30 सितंबर, 2020 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगी।

हाउसुआनथांग गुइते, अवर सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st August 2020

No. PF.1206-R(3)/GN-8979/AN-I/2020.—The Speaker is pleased to place Shri S.S. Kukreja, Director (Printing) in Level-13 in Pay Matrix to Level-14 in the Pay Matrix attached to the post of Joint Secretary with effect from 06th June, 2020 under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SANTOSH KUMAR, Director

No. PF.1351-R(7)/GN-8980/2020/AN-I—In exercise of the powers conferred by clause (j) of Rule 56 of the Fundamental Rules, read with Rule 9 of the Lok Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1955, the Speaker hereby retires, in the public interest, Smt. Kaveri Jeswal, Joint Director (Translation) with effect from the afternoon of the 31st day of August, 2020.

2. The Speaker has further directed that Smt. Kaveri Jeswal shall, in lieu of notice of three months, be paid a sum equivalent to the amount of her pay plus allowances for a period of three months calculated at the same rate at which she was drawing them immediately before her retirement.

3. Smt. Kaveri Jeswal, Joint Director (Translation), accordingly stands retired from service with effect from the afternoon of 31.08.2020.

SANTOSH KUMAR, Director

No. PF.1358-R(7)/GN-8981/2020/AN-I—In exercise of the powers conferred by clause (j) of Rule 56 of the Fundamental Rules, read with Rule 9 of the Lok Sabha Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1955, the Speaker hereby retires, in the public interest, Shri Pranav Kumar, Joint Director (Translation) with effect from the afternoon of the 31st day of August, 2020.

2. The Speaker has further directed that Shri Pranav Kumar shall, in lieu of notice of three months, be paid a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for a period of three months calculated at the same rate at which he was drawing them immediately before his retirement.

3. Shri Pranav Kumar, Joint Director (Translation), accordingly stands retired from service with effect from the afternoon of 31.08.2020.

SANTOSH KUMAR, Director

New Delhi-110001, the 11th August 2020

No. F.23.08/2019/GN-8971/AN-I.—In continuation to Notification No.F.23.08/2019/GN-8830/AN-I dated 04th December, 2019, the term of deputation of Shri Manoj K. Arora, IRS (C&CE:1990) as Officer on Special Duty, Lok Sabha Secretariat is extended for a period of one year with effect from 13th August, 2020 to 12th August, 2021 or until further orders whichever is earlier.

VINOD KUMAR TRIPATHI, Joint Secretary

The 28th August 2020

No. F.15/4/2020/GN-8975/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Utpal Kumar Singh, IAS (retired), as Secretary on contract basis in Level 17 in the Pay Matrix with effect from 1st September, 2020 until further orders.

2. The detailed terms and conditions of his appointment will be issued separately.

VINOD KUMAR TRIPATHI, Joint Secretary

New Delhi-110001, the 4th August 2020

No. 23/03/2020/GN-8967/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint the following Editors to the grade of Joint Director (Translation) in Level 12 in the Pay Matrix with effect from 01.08.2020, until further orders :—

1. Ms. Paramjeet Kaur
2. Smt. Sunita Upadhyay

SAVDHA KALIA, Deputy Secretary

No. 23/03/2020/GN-8968/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint the following Assistant Editors to the grade of Editor in Level 11 in the Pay Matrix with effect from 01.08.2020, until further orders :—

1. Shri Devender Kumar
2. Shri Naresh Kumar

SAVDHA KALIA, Deputy Secretary

The 10th August 2020

No. PF.176-R(7)/GN-8969/2020/AN-I.—On reversion from deputation from the post of Deputy Secretary in Ministry of External Affairs, Dr. Yumnam Arun Kumar has resumed duties in this Secretariat as Deputy Secretary with effect from the afternoon of 31st July, 2020

SAVDHA KALIA, Deputy Secretary

No. PF.176-R(7)/GN-8970/2020/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Dr. Yumnam Arun Kumar, Deputy Secretary to the post of Additional Director w.e.f. 8th August, 2020 until further orders.

2. He shall rank junior to Smt. A. Jyothirmayi and senior to Smt. Reena Gopalakrishnan in the grade of Additional Director.

SAVDHA KALIA, Deputy Secretary

The 17th August 2020

No. F.41/2/2020/GN-8972/AN-I.—The Speaker is pleased to place Shri Muraleedharan P., Additional Director to Level 13 in Pay Matrix attached to the post of Director with effect from 15th August, 2020 under the Time Scale Placement Scheme-2011.

SAVDHA KALIA, Deputy Secretary

New Delhi-110001, the 24th August 2020

No.F.15/05/2019/GN-8974/AN-I.—The Speaker is pleased to appoint Shri Hari Nand Kahar, retired Additional Administrative Officer, Forest Department, Government of Rajasthan, as Assistant Private Secretary in Level 10 of the Pay Matrix on the personal staff of Hon'ble Speaker, Lok Sabha [Shri Om Birla] on co-terminus basis with effect from 19th August, 2020 until further orders.

2. The appointment of Shri Hari Nand Kahar on the personal staff of Hon'ble Speaker, Lok Sabha will be on tenure basis and during the pleasure of Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

SWATI PARWAL, Deputy Secretary

The 31st August 2020

No. F.15/07/2019/GN-8977/AN-I.—Shri Sanjay Kumar, retd. IPS Officer is appointed to the post of Senior Private Secretary in Level 11 of the Pay Matrix on the personal staff of Chairperson, Library Committee [Shri Nama Nageshwara Rao] with effect from 17th March, 2020 for a period of one year or until further order, whichever is earlier.

2. He will be designated as Private Secretary to the Chairperson, Library Committee.

SWATI PARWAL, Deputy Secretary

No. PF.1000-R(7)/2020/GN-8978/AN-I.—On attaining the age of superannuation, Smt. Anjula Sood, Additional Director(PSS) has retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2020.

SWATI PARWAL, Deputy Secretary

New Delhi-110001, the 20th August 2020

No.PF.3080-R(3)/GN-8973/AN-I/2020—Shri Arvind Rai, DIG of Central Reserve Police Force who is presently working as Director (Security) in the Lok Sabha Secretariat on deputation basis is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the afternoon of 24.08.2020 and thereafter his services are placed back at the disposal of his parent department i.e., Directorate General, CRPF, New Delhi.

2. This is in continuation of Notification No.PF.2962-R(3)/GN-8562/AN-I/2018 dated 24.10.2018.

SREEKANTH S., Deputy Secretary

New Delhi-110001, the 31st August 2020

No. PF. 1368-R(7)/GN-8976/AN-I/2020.—On attaining the age of superannuation, Shri Raakesh C. Handoo, Joint Director (Translation) has retired from service with effect from the afternoon of 31st August, 2020.

V. GANAPATHY, Deputy Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th September 2020

No. I-14011/06/2020-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission, on 18.09.2020, has approved the Select List of the year 2019 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 18.08.2020, containing the name of the following State Police Service Officer of Himachal Pradesh towards filling up of 01 substantive vacancy in the Himachal Pradesh Cadre of Indian Police Service :—

Select List 2019

Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
Virender Sharma	25.06.1963

A. K. SARAN, Director (Police)

No. I-14011/06/2020-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Himachal Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Himachal Pradesh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2019

Name of the officer (S/Shri)	Date of Birth
Virender Sharma	25.06.1963

2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10-05-2011.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

A. K. SARAN, Director (Police)

The 28th September 2020

No. I-18012/15/2020-IPS.I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Cadre of Uttarakhand in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each:—

Sl. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of Confirmation
1.	Dhirendra Singh Gunjaiyal	03.08.2018

Sl. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of Confirmation
2.	Yashwant Singh	03.08.2018
3.	Ajay Singh	21.06.2019
4.	Pankaj Bhatt	21.06.2019

A. K. SARAN, Director (Police)

New Delhi, the 1st October 2020

No. 23011/20/2020-WS-III—In exercise of the powers conferred by sub-section (a) of section 55 of the National Forensic Sciences University Act, 2020 (32 of 2020), the Central Government appoints Dr. Jayantkumar Maganlal Vyas as the Vice-Chancellor of the National Forensic Sciences University from the date of commencement of the said Act.

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Joint Secretary

No. 23011/93/2020-BPR&D—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 52 of the Rashtriya Raksha University Act, 2020 (31 of 2020) the Central Government appoints Dr. Bimal Patel, as the Vice Chancellor of the Rashtriya Raksha University from the date of commencement of the said Act, until further orders.

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Joint Secretary

New Delhi-01, the 23th September 2020

No. I-18011/09/2020-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm Shri A Koan, IPS (AGMUT:2009) in the Indian Police Service with effect from 21.12.2011.

ANJAN SARKAR, Under Secretary

New Delhi, the 28th September 2020

No. I-14011/05/2020-IPS.I (I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission, on 28.09.2020 has approved the Select List of the year 2019 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 10.09.2020, containing the name of the following State Police Service Officers of Madhya Pradesh towards filling up of 08 substantive vacancies in the Madhya Pradesh Cadre of Indian Police Service :—

Select List 2019

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Yashpal Singh Rajput	01.06.1969
2.	Dharmvir Singh	01.01.1970
3.	Arvind Tiwari	28.06.1970
4.	Priyanka Mishra	05.08.1972
5.	Veerendra Kumar Mishra	22.12.1969
6.	Pramod Kumar Sinha	16.08.1970
7.	Vijay Kumar Bhagwani	04.01.1970
8.	Rajeev Kumar Mishra	21.07.1970

RAVI NIRMAL, Under Secretary

No. I-14011/05/2020-IPS.I (II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Madhya Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Madhya Pradesh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List 2019

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Yashpal Singh Rajput	01.06.1969
2.	Dharmvir Singh	01.01.1970
3.	Arvind Tiwari	28.06.1970
4.	Priyanka Mishra	05.08.1972
5.	Veerendra Kumar Mishra	22.12.1969
6.	Pramod Kumar Sinha	16.08.1970
7.	Vijay Kumar Bhagwani	04.01.1970
8.	Rajeev Kumar Mishra	21.07.1970

2.The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10-05-2011.

3.The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

RAVI NIRMAL, Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 25th September 2020

No.14013/02/2017 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following member of the Indian Administrative Service of borne on the State Cadre of Punjab in the Indian Administrative Service, with effect the date(s) shown against them:—

SI No.	Name of Officer (S/Sh.)	Batch	Due Date of Confirmation
1	Bakhtawar Singh	2009	24.08.2018
2	Arvind Pal Singh Sandhu	2009	20.12.2018
3	Madhvi Kataria	2010	31.08.2019
4	Vimal Kumar Setia	2010	24.08.2018
5	Devinder Singh	2010	24.08.2018
6	Puneet Goyal	2010	24.08.2018
7	Amrit Kaur Gill	2010	24.08.2018
8	Mohd. Ishfaq	2011	02.02.2019

SANDEEP KUMAR SINHA, Under Secretary

No.14013/03/2017 - AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following member of the Indian Administrative Service of borne on the State Cadre of Madhya Pradesh in the Indian Administrative Service, with effect the date(s) shown against them:—

SI No.	Name of Officer (S/Sh.)	Batch	Due Date of Confirmation
1	Smt. Renu Pant	2000	04.09.2009
2	Shri Shiv Narayan Rupla	2000	04.09.2009

SI No.	Name of Officer (S/Sh.)	Batch	Due Date of Confirmation
3	Shri Neeraj Dubey	2000	04.09.2009
4	Shri Narayan Prasad Dehariya	2001	18.01.2013
5	Shri Ashutosh Awasthi	2001	01.08.2012
6	Dr. Ashok Kumar Bhargava	2002	01.08.2012
7	Dr. Masood Akhtar	2002	01.08.2012
8	Shri Rajendra Singh	2002	01.08.2012
9	Shri Janak Kumar Jain	2002	01.08.2012
10	Shri Rajesh Bahuguna	2002	01.08.2012
11	Shri Anand Kumar Sharma	2002	01.08.2012
12	Shri Dayal Das Agrawal	2002	01.08.2012
13	Shri Shailendra Kiyawat	2003	01.08.2012
14	Shri Ravikant Jain	2003	01.08.2012
15	Shri Pramod Kumar Gupta	2003	01.08.2012

SANDEEP KUMAR SINHA, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 8th September 2020

No. 04/PB-II/2020—On attaining the age of superannuation, Shri Raj Kumar Gogiani [DOB: 30.08.1960], Private Secretary [Grade-I Stenographer in Stenographers' Cadre of IFS(B)] in this Ministry, retired from the Government service in the afternoon of 31st August, 2020.

SHALINI JOSHI, Administrative Officer (PB-II)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 15th September 2020

No.A.12025/184/2018-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Katariya Hiral Birendrabhai to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14th June, 2019 until further orders. Dr. Katariya Hiral Birendrabhai is posted as Medical Officer under CGHS Ahmedabad. She will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No.A.12025/156/2015-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. George Allen John to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the Forenoon of 01st January, 2020 until further orders. Dr. George Allen John is posted as Medical Officer under Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

The 16th September 2020

No.A.12025/114/2018-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ravindra Nutanchandra Kuralkar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17th December, 2018 until further orders. Dr. Ravindra Nutanchandra Kuralkar is posted as Medical Officer under CGHS Mumbai. He will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No.A.12025/31/2019-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Amrin Naaz to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 23rd August, 2019 until further orders. Dr. Amrin Naaz is posted as Medical Officer under CGHS Delhi. She will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No.A.12025/95/2019-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Angel Chellappa to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 20th September, 2019 until further orders. Dr. Angel Chellappa is posted as Medical Officer under CLTRI, Chengalpattu. She will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

The 23rd September 2020

No.A.12025/195/2017-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Amritha Rajan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the Forenoon of 22nd October, 2017 until further orders. Dr. Amritha Rajan is posted as Medical Officer under APHO, Trivandrum.

K. VENKATESAN, Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 4th November 2019

No.22-02/2017- MIDH, Tech.I (E-37750)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Sh. Babu Lal Meena, Assistant Director, DASD, Calicut, Kerala to the post of Deputy Director (General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial), in the pre-revised pay scale (as per 6th CPC) of Rs. 15600-39100 (PB-3) with Grade Pay of Rs. 6600/-, revised pay scale (as per 7th CPC) Level-11 of Pay Matrix (Rs. 67,700-2,08,700) in the Directorate of Arecanu t& Spices Development, Calicut, Kerala, a subordinate office under Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, on Promotion basis by composite method with effect from the forenoon of 23.10.2019.

N. K. PATLE, Deputy Commissioner (Hort.)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 17th September 2020

No. 1-22/2019-SPG—The President is pleased to appoint Dr. Charles Lobo, IPoS: 1987 to the post of Member (Operations), Postal Services Board, Department of Posts, Ministry of Communications on promotion w.e.f. 28.05.2020 (F/N) and until further orders.

VINAYAK MISHRA, Assistant Director General (SPG)

No. 1-22/2019-SPG—The President is pleased to appoint Ms. Sandhya Rani, IPoS: 1987 to the post of Member (Banking & DBT), Postal Services Board, Department of Posts, Ministry of Communications on promotion w.e.f. 01.06.2020 (F/N) and until further orders.

VINAYAK MISHRA, Assistant Director General (SPG)

No. 1-22/2019-SPG—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Poddar, IPoS: 1987 to the post of Additional Director General (Coordination), Department of Posts, Ministry of Communications on promotion w.e.f. 04.09.2020 (F/N) and until further orders.

VINAYAK MISHRA, Assistant Director General (SPG)

No. 1-22/2019-SPG—The President is pleased to appoint Ms. Smita Kumar, IPoS: 1987 to the post of Member (Technology), Postal Service Board, Department of Posts, Ministry of Communications on promotion w.e.f. 14.09.2020 (F/N) and until further orders.

VINAYAK MISHRA, Assistant Director General (SPG)

The 18th September 2020

No. 1-16/2019-SPG—The President is pleased to appoint Shri Vineet Pandey, IPoS: 1986 to the post of Director General Postal Services, Department of Posts, Ministry of Communications on promotion w.e.f. 01.09.2020 (F/N) and until further orders.

VINAYAK MISHRA, Assistant Director General (SPG)

MINISTRY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY
(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 22nd September 2020

No. PF/1544/NIC/2019/Admin.I—The President is pleased to accept the voluntary Retirement of Shri Mathew K Abraham, Emp. Code: 1544 from the post of Scientist-D from NIC-Kerala State Centre, Thiruvananthapuram w.e.f. 31.08.2020 (AN) and he stands relieved of his duties from the same day.

MANOHARAN R, Joint Director (Admin)

No. PF/3445/NIC/2018/Admin.I—Shri Satya Kumar Dixit, Scientist-E (Emp. Code: 3445) of National Informatics Centre, U.P. State Centre, Lucknow retired on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31.08.2020 and he stands relieved of his duties from the same day.

MANOHARAN R, Joint Director (Admin)

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 18th September 2020

No. 49/6/2020-Admn.I—Consequent upon his posting as Deputy Director General in Ministry of New & Renewable Energy vide Ministry of Statistics and Programme Implementation's Officer Order No. 12015/01/2020-ISS dated 27th August, 2020, Sh. Deepak Goyal is taken on the strength of the Ministry of New & Renewable Energy with effect from the forenoon of 14th September, 2020.

K. SALIL KUMAR, Deputy Secretary

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 15th September 2020

No.09/2020 F.No.2-2/4/2020-Adm.II.— The President is pleased to appoint Sh. K.K. Pandey, (IES: 2010) as Joint Director in the Ministry of Power, in Level-12 of Pay Matrix, with effect from the forenoon of 09.09.2020.

HAUSUANTHANG GUITE, Under Secretary

The 16th September 2020

No. 10/2020, F.No.12/01/2020-Adm.II. On attaining the age of superannuation, Smt. Renuka Kumar, Director, Ministry of Power shall retire from Government Service in the afternoon of the 30th September, 2020.

HAUSUANTHANG GUITE, Under Secretary